

चंदन

बनाम

राज्य (दिल्ली प्रशासन)

(आपराधिक अपील सं. 788/2012)

05 अप्रैल 2024

[न्या. सुधांशु धूलिया* और न्या. प्रसन्ना बी. वराले]

विचारणीय मुद्दा

यह मामला मकसद की कमी या अनुपस्थिति के प्रभाव से जुड़ा है, जब किसी विश्वसनीय चशमदीद-गवाह की गवाही हो।

हेडनोट

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – हत्या – अभियोजन पक्ष का मामला कि अभियुक्त ने अपने पास रखे चाकू से पीड़ित पर कई बार वार किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई – पीड़ित की भाभी ने थोड़ी दूरी से घटना देखी – विचारण न्यायालयों द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और सजा – हस्तक्षेप:

अभिनिर्धारित किया गया : अनावश्यक है - मृतक का खून अभियुक्त से बरामद चाकू पर लगे खून से स्पष्ट रूप से मेल खाता है, साथ ही घटना के एक विश्वसनीय चशमदीद गवाह के प्रत्यक्ष साक्ष्य भी उपलब्ध हैं -- हत्या, अभियुक्त की गिरफ्तारी और उससे चाकू की बरामदगी, बहुत कम समय के अंतराल पर, तेजी से हुई —अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे सिद्ध करते हैं -- यह प्रस्तुति सही है कि अभियोजन पक्ष इस नृशंस कृत्य के लिए अभियुक्त पर

चंदन वी. राज्य (दिल्ली प्रशासन)

कोई मकसद साबित नहीं कर पाया है, लेकिन चूंकि इस मामले में चश्मदीद गवाह को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मकसद अपने आप में बहुत कम प्रासंगिक है --जब प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध को स्थापित करता है तो मकसद की कमी या अनुपस्थिति अप्रासंगिक है। [पैरा 4-6]

उद्धृत निर्णयज विधि

शिवाजी गेनू मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर (1973) एससी 55; बिकाऊ पांडे बनाम बिहार राज्य [2003] अनुपूरक. 6 एससीआर 201: (2003) 12 एससीसी 616; राजगोपाल बनाम मुथुपंडी [2017] 2 एससीआर 84: (2017) 11 एससीसी 120; योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह [2016] 7 एससीआर 713: (2017) 11 एससीसी 195 - संदर्भित।

*रचयिता

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860.

विशिष्ट शब्दों की सूची

मकसद की कमी या अनुपस्थिति; विश्वसनीय चश्मदीद गवाह की गवाही; हत्या; प्रत्यक्ष साक्ष्य; चाकू की बरामदगी।

इनसे उत्पन्न मामला

आपराधिक अपील की क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 788/2012

आप.अ संख्या 130/1997 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 02.07.2010 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी के अधिवक्तागण: सुश्री ऋचा कपूर, दीपक सिंह।

प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण : श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, अति.महा.सा., मुकेश कुमार मरोरिया, श्रीमती शिविका मेहरा, श्रीमती राजेश्वरी शंकर, अलंकार गुप्ता, अक्षजा सिंह,

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. सुधांशु धूलिया

1. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। अपील में उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह दिनदहाड़े हत्या का मामला है, जिसमें एक विश्वसनीय चश्मदीद गवाह भी मौजूद है।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 28.05.1993 को रात्रि लगभग 8:15 बजे जब अभि.सा.-2, जो मृतका की भाभी थी, राम बाजार से लौट रही थी, मृतका और अभियुक्त उससे कुछ कदम आगे चल रहे थे। कुछ मिनटों के बाद उसने दोनों, यानी मृतक राकेश और चंदन को एक-दूसरे से हाथापाई करते हुए देखा और फिर उसने देखा कि अभियुक्त अपने पास मौजूद चाकू से मृतक पर कई बार वार कर रहा है। मृतक जमीन पर गिर गया और अभियुक्त/अपीलार्थी भाग गया। मृतक राकेश को सबसे पहले पास के ही डॉ. कालरा के निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां उन्हें उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाने

चंदन वी. राज्य (दिल्ली प्रशासन)

की सलाह दी गई, जो कि निकटतम अस्पताल था, जहां मृतक को आपातकालीन उपचार दिया जा सकता था। जब तक मृतक अस्पताल पहुंचा उसे मृत घोषित कर दिया गया। अगले दिन यानि 29.05.1993 को मृतक का शव-परीक्षण किया गया और निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गईं:

1. एक चीरा हुआ घाव 22 सेमी 2 सेमी ? बाएं क्लैरिकुलर क्षेत्र (सेलुलर हड्डी क्षेत्र) पर लंबवत स्थान पर।
2. बाएं निप्पल के मोडल के ठीक नीचे 2 सेमी 1 सेमी ? का एक चीरा हुआ घाव मौजूद है।
3. बाएं हाथ के मध्य भाग पर 3 सेमी. 1.5 सेमी. ? का एक चीरा हुआ घाव अनुप्रस्थ रूप से सामने की सतह पर स्थित है। वास्तव में बीच का सिरा काटा गया था।
4. बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से के पीछे 1.5 सेमी. 0.8 सेमी. ? का एक कटा हुआ घाव। चोट का पिछला सिरा वास्तव में कटा हुआ था। चोट संख्या 3 और 4 एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई गई।
5. 2.5 सेमी 1.5 ? का एक चीरा हुआ घाव, सातवीं पसलियों पर बाईं पार्श्व छाती की दीवार पर लंबवत लगाया गया था, जो तीव्र था।
6. बाएं कंधे के शीर्ष पर 20. सेमी. 1.5 सेमी. ? छिटकने के आकार का एक चीरा हुआ घाव
7. बायें स्कैपुलर क्षेत्र पर 2 सेमी. 0.5 सेमी. मांसपेशी गहराई का एक कटा हुआ घाव।

8. 2 सेमी. 1 सेमी. ? का एक चीरा हुआ घाव बाएं वृक्क कोण पर लंबवत है।

आगे यह भी टिप्पणी की गई:

छाती पर चोट सं. 1 केवल मांसपेशियों में गहरी थी। इसी प्रकार चोट संख्या 2 भी थी, चोट संख्या 5 7वें इंटरकोस्टल स्पेस के माध्यम से बाएं वक्ष गुहा में प्रवेश कर गई थी और ऊपर की ओर तथा मध्यवर्ती दिशा में लगी थी, जहां इसने पेरीकार्डियम और हृदय के बाएं वेंट्रिकल के सिरे को प्रभावित किया था...

चोट संख्या 5 प्राकृतिक क्रम के अनुसार मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। मौत चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई...

मेरी राय में, मृतक राकेश के शरीर पर जो चोटें मिलीं, वे संभवतः इसी हथियार से की गयी हैं। मैंने शव-परीक्षण रिपोर्ट के साथ उक्त हथियार का स्केच भी बनाया था जो कि प्र. अभि.सा.9/क है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और यह सही है।

हथियार चाकू प्र.पी.एल बाहर निकाल लिया गया है। न्यायालय में मुझे जो हथियार प्र.पी.एल. दिखाया गया है, वह मेरे नाम के साथ है, जिसे पुलिस ने शव-परीक्षण के समय सीलबंद पार्सल में मेरे सामने पेश किया था और चोट प्र.पी.एल. से लग सकती है।

घटना की तारीख यानी 28.05.1993 को ही पुलिस स्टेशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली में शिकायतकर्ता अभि.सा.-2 के बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उसने घटना का विवरण ऊपर बताए अनुसार दिया था। पुलिस ने जांच के बाद एकमात्र अभियुक्त चंदन के खिलाफ

चंदन वी. राज्य (दिल्ली प्रशासन)

आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय में भेजे जाने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा 18 गवाहों से पूछताछ की गई। अभियोजन पक्ष का मुख्य गवाह अभि.सा.-2 था, जो चश्मदीद गवाह था। बचाव पक्ष द्वारा उससे लंबी प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जो इस गवाह को बदनाम कर सके। इस गवाह ने अपनी गवाही में घटनाक्रम का पूरा विवरण दिया है कि किस प्रकार अभियुक्त ने मृतक की चाकू घोंपकर हत्या की और किस प्रकार वह थोड़ी दूरी से अपने सामने हो रहे इस कृत्य को देखती रही और किस प्रकार यह सब कुछ बस थोड़ी ही देर में घटित हो गया।

3. यहां यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि अभियुक्त को उसी दिन आसपास के क्षेत्र में उस चाकू के साथ पकड़ा गया था, जो अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि यह वही चाकू था जो एकमात्र अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया था और जिसका इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने में किया गया था। मृतक का खून चाकू पर लगे खून से मेल खाता पाया गया, जो अभियुक्त/अपीलार्थी से बरामद किया गया था। हेड कांस्टेबल ब्रह्म पाल सिंह (अभि.सा.-12) इस बरामदगी के गवाह हैं। उन्होंने बताया कि चाकू मारने की सूचना मिलने पर उन्होंने कांस्टेबल महाबीर के साथ मिलकर अभियुक्त को हैमिल्टन रोड पर ढूंढ निकाला। उन्होंने अभियुक्त को खून से सना चाकू लेकर और खून से सनी शर्ट पहने हुए 'गंदा नाला' की तरफ से निकलते देखा। इसके बाद कांस्टेबल ब्रह्म पाल ने अभियुक्त को पकड़ लिया और चाकू व शर्ट बरामद कर ली।
4. अभियुक्त से चाकू की बरामदगी के तरीके पर कुछ संदेह व्यक्त किए गए थे, लेकिन केवल इस पहलू पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, विशेष

रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि मृतक का खून स्पष्ट रूप से उस खून से मेल खाता है जो चाकू पर पाया गया था, साथ ही एक चश्मदीद गवाह (अभि.सा.-2) के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य भी मौजूद थी, जो घटना की एक विश्वसनीय चश्मदीद गवाह है। हम इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हत्या, अभियुक्त की गिरफ्तारी और उससे चाकू की बरामदगी, बहुत कम समय के अंतराल पर, तेजी से हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे सिद्ध करते हैं। विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय दोनों ने सही माना है कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित कर दिया है।

5. बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियोजन पक्ष इस नृशंस कृत्य के लिए अभियुक्त पर कोई मकसद साबित नहीं कर पाया है, वास्तव में सत्य है, लेकिन चूंकि यह चश्मदीद गवाह का मामला है, जहां चश्मदीद गवाह को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मकसद स्वयं में बहुत कम प्रासंगिक है। इस पहलू पर कुछ प्रमुख मामलों का उल्लेख करना आवश्यक होगा जो इस प्रकार हैं:

शिवाजी गेनू मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1973 एससी 55 में, यह माना गया कि आपराधिक न्यायशास्त्र में यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब प्रत्यक्ष साक्ष्य न्यायालय का विश्वास जगाता है, तो अभियोजन पक्ष को मकसद सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। महज मकसद की अनुपस्थिति किसी विश्वसनीय चश्मदीद की गवाही पर असर नहीं डालेगी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विचार के लिए मकसद एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन जब प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह हो तो मकसद महत्वपूर्ण नहीं होता। यह माना गया था:

यदि अभियोजन पक्ष किसी प्रेरक मकसद का पता लगाने में सक्षम नहीं है, तो इससे एक विश्वसनीय चश्मदीद गवाह की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें कोई शक

चंदन वी. राज्य (दिल्ली प्रशासन)

नहीं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर पूरी तरह निर्भर मामलों में मकसद के बारे में साक्ष्य काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इस तरह के साक्ष्य ऐसे मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी बनेंगे। लेकिन उन मामलों में ऐसा नहीं होगा जहां विश्वसनीय चश्मदीद गवाह हों, हालांकि ऐसे मामलों में भी यदि मकसद सही ढंग से साबित हो जाए, तो ऐसा सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करेगा और न्यायालय को उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मकसद साबित नहीं हुआ तो चश्मदीद गवाह का सबूत अविश्वसनीय हो जाता है।

जब प्रत्यक्ष साक्ष्य से अपराध सिद्ध हो जाता है तो मकसद की कमी या अनुपस्थिति अप्रासंगिक है, यह सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा बिकाऊ पांडे बनाम बिहार राज्य, (2003) 12 एससीसी 616; राजगोपाल बनाम मुथुपंडी, (2017) 11 एससीसी 120; योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह, (2017) 11 एससीसी 195 में दोहराया गया है।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, तदनुसार अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी को जमानत देने संबंधी दिनांक 09.05.2012 का अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। अपीलार्थी, जो वर्तमान में जमानत पर है, को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलार्थी अपनी बाकी बची सजा भुगते।

इनके द्वारा तैयार किए गए हेडनोट्स: निधि जैन मामले का परिणाम:
अपील खारिज कर दी गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.